(6)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 320/2016 (आरसीएमएस संख्या : 2016/00312)
सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

नगर विकास न्यास, जयपुर हाल जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री उमेश कुमार पारीक, अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 24.12.2019

तहसीलदार, सांगानेर द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम चैनपुरा की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में आराजी ख0न0 207 रकबा 03 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन झैरा दर्ज रिकार्ड है और कॉलम न0 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी श्री महादेव जी पुजारी नारायण पुत्र श्री मूलचन्द जाति– ब्राह्मण साकिन देह व कॉलम नं0 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषि काल में मकबूजा माफीदार अंकित है, जमाबन्दी सम्वत् 2018– 2021 में मकबूजा माफीदार दर्ज है और जमाबंदी सम्वत् 2022–2025 में गत खसरा नम्बर 207 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन झैरा में खाता संख्या 1 में कॉलम संख्या 4 राजकीय भूमि का खाता कॉलम संख्या 5 (ख) उपशीर्षक कृषि अयोग्य भूमि, उपशीर्षक (1) चराई अयोग्य भूमि–सरकारी कुएं में दर्ज रिकार्ड है। जो जरिये नामान्तरकरण संख्या–82 दिनांक 14.02.1983 को नगर विकास न्यास, जयपुर के नाम दर्ज कर दिये जाने से हाल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में नगर विकास न्यास, जयपुर के नाम दर्ज है। यह आराजी मूल रूप से मॉफी मन्दिर की होने के बावजूद जरिये हस्तान्तरण अप्रार्थी के नाम अंकित की गई है, मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, नाबालिग की भूमि की खातेदारी किसी को नही दी जा सकती है। बिना किसी वैध आदेश के मॉफी मन्दिर का इन्द्राज विलोपित कर नगर विकास न्यास, जयपुर के नाम अंकित कर दी गई है, जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः ग्राम चैनपुरा के हाल ख0न0 357 रकबा 0.03 हे0 एवं खसरा नम्बर 358 मिन रकबा 0.01 हे0 किता 2 रकबा 0.04 हे0 की खातेदारी निरस्त करने एवं वापिस माफी श्री महादेव जी के नाम

इन्द्राज दर्ज किये जाने के आदेश हेतु रैफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल को भिजवाया जावें।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थी जारी किया गया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विधि–विधान एवं तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत किया गया है। विवादग्रस्त आराजी कभी किसी की निजी खातेदारी मे दर्ज राजस्व रिकार्ड नही रही है। नियमानुसार संधारित राजस्व अभिलेख मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी श्री महादेव जी पुजारी नारायण पुत्र श्री मूलचन्द जाति–ब्राह्मण साकिन देह व कॉलम नं0 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषि काल में मकबूजा माफीदार अंकित है, जमाबन्दी सम्वत् 2018–2021 में मकबूजा माफीदार दर्ज है और जमाबंदी सम्वत् 2022–2025 में गत खसरा नम्बर 207 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन झैरा में खाता संख्या 1 में कॉलम संख्या 4 राजकीय भूमि का खाता कॉलम संख्या 5 (ख) उपशीर्षक कृषि अयोग्य भूमि, उपशीर्षक (1) चराई अयोग्य भूमि–सरकारी कुएं में दर्ज रिकार्ड है। जो जरिये नामान्तरकरण संख्या–82 दिनांक 14.02.1983 को नगर विकास न्यास, जयपुर के नाम दर्ज कर दिये जाने से हाल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में नगर विकास न्यास, जयपुर के नाम दर्ज है, जो प्रांरभ से शून्य है और शून्य आधारित अधिकारो से दर्ज राजस्व अभिलेख में दर्ज इन्द्राज के आधार पर कोई इन्द्राज किया गया है तो वह भी प्रांरभ से शून्य है। मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है अतः नाबालिग की आराजी को हस्तान्तरित किया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री उमेश कुमार पारीक का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विधि–विधान एवं तथ्यों के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। विवादग्रस्त आराजी कभी भी माफी श्री महादेव जी की नही रही है। वास्तविकता तो यह है कि विवादग्रस्त आराजी मकबूजा माफीदार रही है और माफी रिज्यूम होने के पश्चात सिवायचक होने से नगर विकास न्यास, जयपुर के नाम दर्ज की गई है जो विधि–सम्मत है। अतः विवादग्रस्त भूमि से माफी श्री महादेव जी का कोई सबंध सरोकार नही है और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 संधारण योग्य नही है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दीर्घ अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नही है, मियाद बाहर है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी श्री महादेव जी दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी, अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी मकबूजा भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी श्री महादेव जी की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी श्री महादेव जी की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में निजी खातेदारी अप्रार्थी के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 82 वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी श्री महादेव जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकारान को दिनांक 24.03.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 24.12.2019 को सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर